**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज।**

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः- 2029/2026**

UPAD010056742026

नरेंद्र सिंह उम्र 22 वर्ष पुत्र मक्खन सिंह, निवासी– ग्राम हीरा का पुरवा दिलवाल, जनपद कानपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त।

**बनाम**

उ.प्र. राज्य

.....अभियोगी।

मु.अ.सं.– 06/2026
अंतर्गत धारा–69, 351(3)बी.एन.एस.
व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना– नवाबगंज, जनपद प्रयागराज

**1.** आवेदक/अभियुक्त नरेन्द्र सिंह की ओर से मु.अ.सं.– 06/2026, अन्तर्गत धारा– 69, 351(3) बी.एन.एस., 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–नवाबगंज, जनपद–प्रयागराज में प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन–पत्र शपथपत्र से समर्थित है।

**2.** संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज में दिनांक 09.01.2026 को समय 00.38 बजे इस आशय का मुकदमा कायम कराया कि दिनांक 15.11.2025 को सायं 08.00 बजे जब वह नहर के पास गयी थी तब उसे अकेला पाकर अभियुक्त नरेन्द्र सिंह उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया, उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती पास के बाग में उठा ले गया जब उसने विरोध किया तो उसका मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा धमकी दिया कि किसी को बताया तो तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। उसके पश्चात अभियुक्त लगातार जबरन उसके साथ गलत काम कर रहा है तथा उसे शादी का झांसा भी दिया था। विवेचक द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 69, 351(3) बी.एन.एस. में न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

**3.** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा न तो माननीय उच्च न्यायालय न ही किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था न ही कोई लम्बित है। अग्रेतर यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी मुकदमा का आवेदक/अभियुक्त के साथ पहले से ही प्रेम प्रसंग था जो उसके घरवालों को बखूबी ज्ञात है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा खर्चा देने में असमर्थ होने के कारण वादिनी मुकदमा व उसके मध्य कहा–सुनी हुयी थी जिसके कारण उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 09.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

**4.** विद्वान विशेष लोक अभियोजकगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है से प्रवंचना पूर्ण साधनों द्वारा विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध एक से अधिक बार बलात्संग कारित करने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

**5.** मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

**6.** उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में यह परिलक्षित हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी मुकदमा को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है से प्रवंचना पूर्ण साधनों द्वारा विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध एक से अधिक बार बलात्संग कारित करने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रथम दृष्टया अभियोग लगाया गया है।

**7.** वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में अभिकथन किया है कि "*घटना दिनांक 15.11.2025 को समय रात्रि 08.00 बजे की है, मैं नहर के पास अकेले शौच करने के लिए गयी थी वहां नरेंद्र जो कि किराये के कमरे पर मेरे गांव में रहता है वहां आया और मेरा हाथ पकड़कर मुंह दबाकर मुझे पास के बाग में उठाकर ले गया, मेरा साथ मुंह दबाकर जबरदस्ती गलत काम किया, 15–20 मिनट बाद नरेन्द्र मुझे धमकी देते हुए चला गया कि अगर किसी को बताया तो मेरे भाई को जान से मार देगा फिर मैं अपने घर आ गयी, मैंने घर पर आकर डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया, फिर भी मैं शौच करने अकेले ही आती थी, उपरोक्त घटना के बाद भी नरेन्द्र ने 5–6 बार मेरे साथ गलत काम किया। मैं बहुत परेशान हो गयी तब अपनी मां को सब बताया और नरेन्द्र के खिलाफ एफ.आई.आर. किया, जब मैंने नरेन्द्र से शादी करने को कहा तो नरेन्द्र ने गाली देते हुए मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी जिन्दगी बर्बाद कर दूंगा।*" इसी प्रकार का बयान पीड़िता ने अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एन.एस. में भी दिया है।

**8.** इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है से प्रवंचना पूर्ण साधनों द्वारा विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध एक से अधिक बार बलात्संग कारित करने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रथम दृष्टया अपराध किया है। चिकित्सीय रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता का हाइमन पुराना फटा एवं भरा हुआ होना कहा गया है जिससे घटना का समर्थन होता है। अतः सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त नरेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2029/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांक– जून 12, 2026

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
जे.ओ.कोड–यू.पी. 6278

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.06.12 16:26:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court